मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153, दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 266] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 23 अप्रैल 2010—वैशाख 3, शक 1932

जल संसाधन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2010

क्र. 18-1-91-मध्यम-31-436.—मध्यप्रदेश सिंचाई अधिनियम, 1931 (क्रमांक 3, सन् 1931) के अधीन विरचित नियमों के उपबंधों के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 37 तथा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा संपूर्ण राज्य में निजी क्षेत्र के उद्योग एवं केन्द्र अथवा राज्य शासन के उपक्रमों द्वारा औद्योगिक प्रयोजन के लिए शासकीय/नैसर्गिक स्त्रोत से जल के उपयोग के लिए निम्नानुसार जल दरें निर्धारित करती हैं:—

(1) औद्योगिक प्रयोजन (सिवाय जल विद्युत् परियोजना द्वारा जल उपयोग के) हेतु निर्धारित दरें.

दर रुपये प्रति घनमीटर

स. क्र.	वर्गीकरण	दिनांक 1-1-10 से प्रभावशील	दिनांक 1-1-11 से प्रभावशील	दिनांक 1-1-12 से प्रभावशील	दिनांक 1-1-13 से प्रभावशील
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
अ	शासकीय स्त्रोत से यथा जलाशय, नहर, नलकूप आदि.	4.00	4.50	5.00	5.50
ब	नैसर्गिक स्त्रोत यथा नदी, झील या अन्य प्राकृतिक संग्रह स्त्रोत से या उद्योग द्वारा स्वनिर्मित बांध के जलाशय से—				
	1. स्वयं के व्यय से बांध आदि स्ट्रक्चर्स का निर्माण कर जल भण्डार किया/ कराया जाने की दशा में.	1.00	1.15	1.35	1.55
	2. नैसर्गिक जल स्त्रोत से सीधे जल लिये जाने की दशा में.	1.00	1.15	1.35	1.55

(2) जल विद्युत् परियोजना में जल के उपयोग के लिए निर्धारित जल दरें.

स्त्रोत	दर
शासकीय जल भण्डारण योजनाओं यथा बांध, नहर, बैराज आदि से जल विद्युत् परियोजनाओं की जेनेरिटिंग इकाईयों को प्रदाय किए जाने वाला जल से, जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना.	20 पैसे प्रति विद्युत् इकाई (किलोवाट घंटा) दर दिनांक 1-1-10 से इसके उपरांत प्रत्येक वर्ष की 1 जनवरी से 02 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि..
नैसर्गिक/स्वनिर्मित स्त्रोत से जल के उपयोग के पश्चात् जल की पुनर्प्राप्ति उदाहरणार्थ जल विद्युत् परियोजना.	05 पैसे प्रति विद्युत् इकाई (प्रति किलोवाट/घण्टा उत्पादन दिनांक 1-10-2010 से एवं प्रति विद्युत् इकाई (प्रति किलोवाट/घंटा) 1.0 पैसा प्रति वर्ष की वृद्धि.

टीप.— (1) जल का उपयोग प्रारंभ करने के पूर्व संबंधित इकाई को प्रारूप 7क, में अनुबंध निष्पादित करना होगा.

(2) ताप विद्युत् परियोजनाओं के मामले में औद्योगिक प्रयोजन के लिए दर्शाई गई दरें लागू होगी,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के. श्रीवास्तव, अवर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.